>

Title: To work towards the betterment of condition of tea workers of Darjeeling.

**श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग):** महोदया, मैं दार्जिलिंग से चुन कर आता हूँ। सारे विश्व में चाय दार्जिलिंग के नाम से जानी जाती है। साढ़े छह दशक हो गए हैं, परंतु आज भी चाय बागान के मजदूरों की अवस्था बहुत ही खराब है। अभी-अभी वहां भारतीय मजदूर संघ का विशेष जांच दल गया है। उन्होंने उनकी अवस्था देख कर एक मांग रखी है। मैं आपके सामने वह मांग रखना चाहता हूँ कि वहां के मज़दूरों को कहने को तो यह दिखाया जाता है कि उनको 190 रूपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है परंतु असल में 95 रूपये उनके हाथ में दिए जाते हैं और 100 रूपये फ्रिंज बेनिफट के नाम पर काट लिए जाते हैं। महोदया, मेरा कहना है कि वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। दूसरा, वहां स्टारवेशन डेथ हो रही हैं, इसलिए वहां पर 35 किलो चावल हर व्यक्ति को देकर फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होना चाहिए। चाय बागान के अंदर, चूंकि वह प्राइवेट एरिया है, इसलिए वहां पर पंचायत के वोटर तो हैं, किंतु उनको बीपीएल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। वे सारे के सारे बीपीएल कैटेगरी में आने चाहिए। वहां से प्रोविडेंट फंड कलैक्ट किया जाता है, परंतु वह जमा नहीं होता है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उनका प्रोविडेंट फंड जमा हो और उसकी सुविधा उनको मिले। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि बंद चाय बागानों में पानी और बिजली की व्यवस्था करे।

महोदया, ओल्ड एज पैंशन और विडो पैंशन चाय बागान के मज़दूरों को नहीं मिलती है, वह मिलनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल के जितने भी चाय बागान में आदिवासी काम करते हैं, उनका नाम शिडयुल ट्राईब्स की लिस्ट में आना चाहिए। उनको सोशल सिक्योरिटी के बैनिफिट उलब्ध होने चाहिए। आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह मांग है।